न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 66/2020

वादीगण–

1. श्रवणराम पुत्र केहराराम उर्फ केशाराम
2. हड़मानराम पुत्र केहराराम उर्फ केशाराम
3. सुरेश पुत्र रामाकिशन
4. सरिता पुत्री रामाकिशन
5. सीमा पुत्री रामाकिशन
6. सूर्या पुत्री रामाकिशन
7. चूकली पत्नि रामाकिशन
   जातियान–जाट निवासीगण राजोद ,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. केहराराम उर्फ केशाराम पुत्र सुण्डाराम
2. धन्नी पुत्री केहराराम उर्फ केशाराम
3. सायरी पुत्री केहराराम उर्फ केशाराम
4. सन्तोष पुत्री केहराराम उर्फ केशाराम
5. कैलाश पुत्री केहराराम उर्फ केशाराम
   जातियान–जाट, निवासी– राजोद तहसील–जायल (नागौर)
6. तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री हनुमानराम मण्डा अधिवक्ता वादीगण
2. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 5
3. प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकार उपस्थित

निर्णय **दिनांक : 10/02/2021**

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के

10/02/2021
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के बडेर के खेत मौजा राजोद तहसील जायल में खसरा नं. 146 रकबा 1.1979 हैक्ट0, ख.न. 210 रकबा 3.1404 हैक्ट0, ख.न. 534 रकबा 1.2221 हैक्ट0 ,ख.न. 707 रकबा 2.1529 हैक्ट0 ,ख.न. 737 रकबा 1.7240 हैक्ट0 , ख.न. 738 रकबा 0.0809 हैक्ट0, तथा मौजा दुगोली के ख.न. 231/1943 रकबा 1.7806 हैक्ट0, ख.न. 247 रकबा 3. 8121 हैक्ट0 भूमि स्थित है। मुतदाविया खेताय की भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने माफिक वाद पत्र बंटवारा पैरा संख्या 3 (क से घ) में वर्णित पैराज के अनुसार एवं सलंग्न नजरी नक्शे कर काबिज हो गये है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने दिनांक 07.09.2020 को उपस्थित न्यायालय होकर इकबाली जवाब जरिये अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका के पेश किया। जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 6 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण के संबंध में इकबालिया जवाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 6 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह केहराराम उर्फ केशाराम पुत्र सुण्डाराम, सुरेश पुत्र रामाकिशन, श्रवणराम पुत्र केहराराम उर्फ केशाराम , हड़मानराम पुत्र केहराराम उर्फ केशाराम जातियान जाट निवासीगण राजोद के पेश हुये तथा नकल जमाबन्दी ग्राम राजोद तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 47 प्रदर्श–1 ग्राम दुगोली नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 107 प्रदर्श–2 पेश की एवम् रामाकिशन पुत्र केहराराम का मृत्यू प्रमाण पत्र की प्रति मय सरपंच ग्राम पंचायत राजोद का उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रदर्श–

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

3 व 4 पेश किये। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा पत्रावली में जरिये इकबालिय जवाब वादपत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र में वर्णित पैराज को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 द्वारा इकबालिय जवाब में पक्षकारान के मध्य मौजा राजोद तहसील जायल में खसरा नं. 146 रकबा 1.1979 हैक्ट0 , ख.न. 210 रकबा 3.1404 हैक्ट0, ख.न. 534 रकबा 1.2221 हैक्ट0 ,ख.न. 707 रकबा 2.1529 हैक्ट0 ,ख.न. 737 रकबा 1.7240 हैक्ट0 , ख.न. 738 रकबा 0.0809 हैक्ट0 , तथा मौजा दुगोली के ख.न. 231/1943 रकबा 1.7806 हैक्ट0, ख.न. 247 रकबा 3.8121 हैक्ट0 भूमि का आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक इकबालिय जवाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत इकबालिया जवाब दिनांक 07.09. 2020 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा नजरी नक्शें अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, संलग्न पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक-पृथक हिस्सा अंकित है। जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग-अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत इकबालिया जवाब दिनांक 07.09.2020 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने आपसी सहमति के बंटवाड़ा व माफिक नजरी नक्शे के अनुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने-अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, हस्तगत वादपत्र में वादी संख्या 1 श्रवणराम के हक बंट, कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा राजोद के खसरा नं. 210 रकबा 3.1404 हैक्टेयर (1/2) में से 1.5702 हैक्टेयर दक्षिणी भाग, खसरा नं. 708 रकबा 4.6943 हैक्टेयर में से 2.4281 हैक्टेयर पूर्वी भाग, नजरी नक्शानुसार तथा ग्राम दूगोली के खसरा नं. 247 रकबा 3.8121 हैक्टेयर में से 1.9060 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा घोषित किये जाने की तथा इसी प्रकार वादी संख्या 2 हड़मानराम के हक बंट कब्जे काश्त एवं खातेदार में मौजा राजोद खसरा नं. 534 रकबा 1.2221 हैक्टेयर पूरा, खसरा नं. 146 रकबा 1.1979 हैक्टैयर पूरा, खसरा नं. 707 रकबा 2.1529 हैक्टैयर में से 1.9910 हैक्टेयर दक्षिणी हिस्सा तथा ग्राम दूगोली के खसरा नं. 231/1943 रकबा 1.7806 हैक्टैयर पूरा घोषित किये जाने का निवेदन किया गया है। इस प्रकार वादी संख्या 3 से 7 के शामलाती हक बंट, कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा राजोद के खसरा नं. 210 रकबा 3.1404 हैक्टेयर में से उतरी हिस्सा रकबा 1.5702 हैक्टैयर, माफिक नजरी नक्शा, खसरा नं 707 रकबा 2.1529 हैक्टेयर में से 0.1619 हैक्टैयर उतरी हिस्सा माफिक नजरी नक्शा, खसरा नं. 708 रकबा 4.6943 हैक्टेयर में से पश्चिमी हिस्सा 2.2662 हैक्टैयर माफिक नजरी नक्शा, तथा ग्राम दूगोली के खसरा नं. 247 रकबा 3.8121 हैक्टैयर में से 1.9060 हैक्टेयर पश्चिमी हिस्सा माफिक नजरी नक्शानुसार तथा मौजा राजोद के खसरा नं. 737 रकबा 1.7240 हैक्टेयर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के सामलाती हक बंट, खातेदारी में घोषित किये जाने का निवेदन होने तथा वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा मौजा राजोद तहसील जायल में खसरा नं. 146 रकबा 1.1979 हैक्ट0 , ख.न. 210 रकबा 3.1404 हैक्ट0, ख.न. 534 रकबा 1.2221 हैक्ट0 ,ख.न. 707 रकबा 2.1529 हैक्ट0 ,ख.न. 737 रकबा 1.7240 हैक्ट0 , ख.न. 738 रकबा 0.0809 हैक्ट0, तथा मौजा दुगोली के ख.न. 231/1943 रकबा 1.7806 हैक्ट0 , ख.न. 247 रकबा 3.8121 हैक्ट0 भूमि हिस्सा विशेष की भूमि चाहे जाने तथा पूर्णरूपेण विभाजन नहीं होने से वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 01.01.2021 प्राथमिक डिक्री किया गया।

तहसीलदार जायल ने उक्त पीडी आदेश की पालना में बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक : भू.अ./प्राथमिक डिक्री/2021/619 दिनांक 04.2.21 जो कि दिनांक 10.02.2021 को प्राप्त होकर सामिल पत्रावली है। उक्त

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को जरिये नोटिस सूचीत कर के मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किया गया है जिसमें वादीगण श्रवणराम, हड़मानराम, सुरेश , सरीता, सीमा, सुर्या व चूकली एवं प्रतिवादीगण में केहरराम, धन्नी, सायरी, संतोष, कैलाश ने बंटवारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर/अंगूठा निशान किये तथा बंटवारा प्रस्ताव को स्वीकार किया है। बंटवारा प्रस्ताव में प्रत्येक पक्षकारान का हिस्सा रखा गया है। अतः हम वादी के वाद को माफिक बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) में दर्शाये अनुसार स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी सं. 1 श्रवणराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में ग्राम राजोद तहसील जायल के खसरा नं. 210 रकबा 3.1404 हैक्टैयर में से 1.5702 दक्षिणी भाग, खसरा नं. 708 रकबा 4.6943 हैक्टैयर में से 2.4281 हैक्टैयर पूर्वी भाग, तथा ग्राम दुगोली तहसील के खसरा नं. 247 रकबा 3.8121 हैक्टैयर में से 1.9060 हैक्टैयर पूर्वी भाग माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार घोषित किया जाता है।
2. वादी सं. 2 हड़मानराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में ग्राम राजोद तहसील जायल के खसरा नं. 534 रकबा 1.2221 हैक्टैयर, खसरा नं. 146 रकबा 1.1979 पूरा, खसरा नं. 707 रकबा 2.1529 हैक्टैयर में से 1.9910 हैक्टैयर दक्षिणी भाग, तथा ग्राम दुगोली तहसील के खसरा नं. 231/1943 रकबा 1.7806 हैक्टैयर पुरा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार घोषित किया जाता है।
3. वादीगण सं. 1 से 7 क्रमशः सुरेश, सरिता, सीमा, सुर्या, चूकली के हक बंट कब्जा काश्त एंव खातेदारी में मौजा दूगोली तहसील जाय के खसरा नं. 247 रकबा 3.8121 हैक्टेयर में से 1.9061 हैक्टैयर पश्चिमी भाग, ग्राम राजोद तहसील जायल के खसरा नं. 210 रकबा 3.1404 हैक्टैयर में से 1.5702 उतरी भाग, खसरा नं. 707 रकबा 2.1529 हैक्टैयर में से 0.1619 हैक्टैयर उतरी भाग, खसरा नं. 708

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

रकबा 4.6943 हैक्टर में से 2.2662 हैक्टैयर पश्चिमी भाग माफिक पीडी रिपोर्ट घोषित किया जाता है।

4. ग्राम राजोद तहसील जायल के खसरा नं. 737 रकबा 1.7240 वादीगण क्रमशः श्रवणराम, हड़मानराम, सुरेश, सरीता, सीमा, सुर्या, चुकली व प्रतिवादीगण केहराराम उर्फ केशाराम,, धन्नी, सायरी, संतोष, कैलाश, के सहखातेदारी में घोषित किया जाता है।
5. ग्राम राजोद तहसील जायल के खसरा नं. 738 रकबा 0.0809 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 केहराराम उर्फ केशाराम हक बंट व कब्जा एवं खातेदारी में घोषित किया जाता है।
6. तहसीलदार जायल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव निर्णय आदेश का भाग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 10/02/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

10/02/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर
एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 66/2020

वादीगण–

1. श्रवणराम पुत्र केहराराम उर्फ केशाराम
2. हड़मानराम पुत्र केहराराम उर्फ केशाराम
3. सुरेश पुत्र रामाकिशन
4. सरिता पुत्री रामाकिशन
5. सीमा पुत्री रामाकिशन
6. सूर्या पुत्री रामाकिशन
7. चूकली पत्नि रामाकिशन
   जातियान–जाट निवासीगण राजोद ,तहसील जायल (नागौर)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. केहराराम उर्फ केशाराम पुत्र सुण्डाराम
2. धन्नी पुत्री केहराराम उर्फ केशाराम
3. सायरी पुत्री केहराराम उर्फ केशाराम
4. सन्तोष पुत्री केहराराम उर्फ केशाराम
5. कैलाश पुत्री केहराराम उर्फ केशाराम
   जातियान–जाट, निवासी– राजोद तहसील–जायल (नागौर)
6. तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री हनुमानराम मण्डा अधिवक्ता वादीगण
2. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 5
3. प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री हनुमानराम मण्डा अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 5 हाजरी श्री गोविन्दराम ढाका प्रतिवादी संख्या 6 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब

18/02/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल जिला नागौर

Scanned with CamScanner

मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – वादीगण का वाद निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी सं. 1 श्रवणराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में ग्राम राजोद तहसील जायल के खसरा नं. 210 रकबा 3.1404 हैक्टैयर में से 1.5702 दक्षिणी भाग, खसरा नं. 708 रकबा 4.6943 हैक्टैयर में से 2.4281 हैक्टैयर पूर्वी भाग, तथा ग्राम दुगोली तहसील के खसरा नं. 247 रकबा 3.8121 हैक्टैयर में से 1.9060 हैक्टैयर पूर्वी भाग माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार घोषित किया जाता है।
2. वादी सं. 2 हड़मानराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में ग्राम राजोद तहसील जायल के खसरा नं. 534 रकबा 1.2221 हैक्टैयर, खसरा नं. 146 रकबा 1.1979 पूरा, खसरा नं. 707 रकबा 2.1529 हैक्टैयर में से 1. 9910 हैक्टैयर दक्षिणी भाग, तथा ग्राम दुगोली तहसील के खसरा नं. 231/1943 रकबा 1.7806 हैक्टैयर पुरा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार घोषित किया जाता है।
3. वादीगण सं. 1 से 7 क्रमशः सुरेश, सरिता, सीमा, सुर्या, चूकली के हक बंट कब्जा काश्त एंव खातेदारी में मौजा दूगोली तहसील जाय के खसरा नं. 247 रकबा 3.8121 हैक्टेयर में से 1.9061 हैक्टैयर पश्चिमी भाग, ग्राम राजोद तहसील जायल के खसरा नं. 210 रकबा 3.1404 हैक्टैयर में से 1.5702 उतरी भाग, खसरा नं. 707 रकबा 2.1529 हैक्टैयर में से 0.1619 हैक्टैयर उतरी भाग, खसरा नं. 708 रकबा 4.6943 हैक्टर में से 2.2662 हैक्टैयर पश्चिमी भाग माफिक पीडी रिपोर्ट घोषित किया जाता है।
4. ग्राम राजोद तहसील जायल के खसरा नं. 737 रकबा 1.7240 वादीगण क्रमशः श्रवणराम, हड़मानराम, सुरेश, सरीता, सीमा, सुर्या, चुकली व प्रतिवादीगण केहराराम उर्फ केशाराम,, धन्नी, सायरी, संतोष, कैलाश, के सहखातेदारी में घोषित किया जाता है।
5. ग्राम राजोद तहसील जायल के खसरा नं. 738 रकबा 0.0809 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 केहराराम उर्फ केशाराम हक बंट व कब्जा एवं खातेदारी में घोषित किया जाता है।
6. तहसीलदार जायल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव निर्णय आदेश का भाग रहेगा।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

10/02/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल–(नागौर)

Scanned with CamScanner

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.02.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर० तलबाना		
मीजान			मीजान		

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

10/02/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल–(नागौर)

Scanned with CamScanner